Computer Based Test and Physical Efficiency Test for 2018 notification has been completed. Panels are under issue after Document Verification and Medical Examination by the Railway Recruitment Cells (RRCs).

(c) As on 15.07.2019, panels for 40,901 persons have been issued by the RRCs.

Challenges in implementation of PM-Kisan Scheme

*293. SHRI VIJAY GOEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the number of farmers benefited by the PM-KISAN Scheme, State/UT-wise;

(b) the financial progress of the said scheme, State/UT-wise;

(c) the key challenges being faced in the implementation of the scheme;

(d) whether benefits would also be availed by the farmers of the States where income support is offered by the respective State Governments; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)-Yojna, 4,14,53,071 and 3,17,79,287 number of farmer families have received 1st and 2nd installments of ₹ 2000/- each respectively amounting to ₹ 8290.6 crore and ₹ 6355.8 crore respectively. State/UT-wise details of number of beneficiaries and amount released are given in the Annexure.

(c) PM-KISAN envisages to cover approximately 14.50 crore beneficiaries across the country subject to exclusion criteria. The responsibility of identifying and uploading the details of beneficiaries solely lies with the State/UT. The following challenges are being faced while implementing PM-KISAN:

(i) The delay in identification of beneficiaries by some States/UTs has resulted in delay in transfer of benefits to eligible farmer families.

(ii) Also, the benefits could not be availed by eligible farmer families due to mismatch in the names of the beneficiaries as provided by the State Governments and the names as given in the details of the corresponding bank account numbers. Reconciliation of data due to the said reason is taken care of.

(iii) Delay in correction of data which are sent back to States after various levels of validation affects the prompt transfer of benefit to eligible farmer families.

(iv) The issue of non-availability of authenticated land records in some of the States/UTs has been addressed by the High Level Committee for Jharkhand, Nagaland and Manipur.

(d) and (e) Yes Sir, the Scheme allows eligible beneficiaries to receive additional benefits under similar income support scheme wholly financed by respective State Governments.

Annexure

State/UT-wise details of number of beneficiaries and amount released

States	First instalment Payment (Number)	First instalment Payment (Amount) (In Rupees)	Second instalment Payment (Number)	Second instalment Payment (Amount) (In Rupees)
1	2	3	4	5
Andaman and Nicobar Islands	10,004	2,00,08,000		0
Andhra Pradesh	41,02,775	8,20,55,50,000	31,60,897	6,32,17,94,000
Arunachal Pradesh	0	0		0
Assam	12,51,073	2,50,21,46,000	11,41,412	2,28,28,24,000
Bihar	16,05,556	3,21,11,12,000	2,19,653	43,93,06,000
Chandigarh	15	30,000		0
Chhattisgarh	5,51,725	1,10,34,50,000	1,11,784	22,35,68,000
Dadra and Nagar Haveli	5,322	1,06,44,000	5,315	1,06,30,000
Daman and Diu	2,664	53,28,000	2,262	45,24,000

1	2	3	4	5
Delhi	0	0		0
Goa	2,385	47,70,000	2,336	46,72,000
Gujarat	31,26,691	6,25,33,82,000	28,32,614	5,66,52,28,000
Haryana	10,90,982	2,18,19,64,000	9,35,929	1,87,18,58,000
Himachal Pradesh	6,27,355	1,25,47,10,000	5,04,926	1,00,98,52,000
Jammu and Kashmir	5,41,029	1,08,20,58,000	4,62,497	92,49,94,000
Jharkhand	6,62,603	1,32,52,06,000	3,99,548	79,90,96,000
Karnataka	12,02,470	2,40,49,40,000	3,17,064	63,41,28,000
Kerala	14,17,354	2,83,47,08,000	9,31,661	1,86,33,22,000
Lakshdweep	0	0		0
Madhya Pradesh	9,304	1,86,08,000		0
Maharashtra	34,53,574	6,90,71,48,000	16,07,244	3,21,44,88,000
Manipur	10,365	2,07,30,000		0
Meghalaya	19,958	3,99,16,000		0
Mizoram	27,523	5,50,46,000	14,957	2,99,14,000
Nagaland	48,300	9,66,00,000	30,459	6,09,18,000
Odisha	9,71,749	1,94,34,98,000	9,29,025	1,85,80,50,000
Puducherry	4,421	88,42,000		0
Punjab	12,99,257	2,59,85,14,000	11,44,648	2,28,92,96,000
Rajasthan	25,00,613	5,00,12,26,000	13,23,564	2,64,71,28,000
Sikkim		0		0
Tamil Nadu	27,29,012	5,45,80,24,000	21,34,532	4,26,90,64,000
Telangana	24,44,844	4,88,96,88,000	21,76,411	4,35,28,22,000
Tripura	1,51,095	30,21,90,000	1,51,064	30,21,28,000

1	2	3	4	5
Uttar Pradesh	1,11,69,349	22,33,86,98,000	1,08,48,667	21,69,73,34,000
Uttarakhand	4,13,704	82,74,08,000	3,90,818	78,16,36,000
West Bengal	0	0	0	0
TOTAL	4,14,53,071	82,90,61,42,000	3,17,79,287	63,55,85,74,000

श्री विजय गोयल: उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इतनी अच्छी स्कीम है, उसमें यदि राज्य सरकारें किसानों के बारे में डेटा नहीं देती हैं, तो सरकार के पास उसका क्या तरीका है कि किसानों को उसका लाभ मिले और यदि राज्य सरकारें किसानों के बारे में गलत डेटा देती हैं, तो क्या सरकार उसे चैक करती है? महोदय, नॉर्थ-ईस्ट जैसे स्टेट्स, जहां पर जमीनों का मालिकाना हक सोसायटीज के पास है, जो किसान खेती करते हैं, उनके पास नहीं है, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है कि कई राज्यों की तरफ से डेटा नहीं आता है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा संघीय ढांचा है। हम राज्य सरकारों से विनती करते हैं और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे राज्यों ने अब इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया है। हमारे बंगाल के सीनियर मेम्बर इधर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बंगाल के किसानों को बेनिफिट मिले, इसके लिए आप राज्य सरकार को किसानों के हित में आपके यहाँ से डेटा भेजने के लिए इसके बारे में बताएं।

उपसभापति जी, हमारे माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया था कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ जमीनों की मिल्कियत किसानों की है ही नहीं। हमारे पास ऐसे तीन राज्यों से complaint आई थी, जिनमें मणिपुर, नागालैंड और झारखंड हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर की राज्य सरकार द्वारा ऐसा विवरण प्रस्तुत किया गया था कि इन राज्यों में अधिकतर भूमि कम्युनिटी की हैं, व्यक्तिगत किसानों की नहीं है। गाँव के मुखिया किसानों को खेती अधिकृत करके देते हैं। इसके लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, वहाँ के मुख्य मंत्री एवं अधिकारियों की कमेटी थी। उस कमेटी ने वहाँ की राज्य सरकार को ऐसा प्रस्ताव दिया कि जो वहाँ के मुखिया होंगे और राज्य सरकार होगी, उन्होंने किसानों को जो जमीनें allot की हैं, जब वे उनके नामों की दरख्वास्त करेंगे, जिसको राज्य सरकार अधिकृत करके हमें भेजेगी, तब हम इसको मान्य कर देंगे। इस समस्या का ऐसा समाधान कर दिया गया है। उसी तर्ज पर नागालैंड की समस्या का भी सॉल्यूशन कर दिया गया है।

माननीय उपसभापति जी, झारखंड में ऐसी समस्या थी कि वहाँ 1932 से लैंड रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ था। उसमें, उस जमाने के जिनके नाम थे, उनके बाद के परिवारों के नाम उस

रिकॉर्ड में नहीं थे। हमने सरकार के साथ बैठकर उसकी वंशावली को राज्य सरकार से अनुमोदित करवाकर उस वंशावली को मान्यता देने का निर्णय ले लिया गया है।

श्री विजय गोयल: उपसभापति जी, यह देखने में आया है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का तथा ऐसी और भी योजनाएं हैं, जिनका यश केंद्र सरकार को न मिले, इसके लिए राज्य सरकारें या तो इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही हैं, या डेटा नहीं भेज रही हैं। उनका इस पर हक़ तो बनता है, अत: सवाल यह है कि उनके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? सर, ऐसा ही एक राज्य दिल्ली है, जिसके बारे में मेरा प्रश्न है कि दिल्ली ने इस योजना को लिया है या नहीं लिया है, वहाँ के किसानों की सूची आपको सौंपी है या नहीं सौंपी है? आपने अपने अब तक डेटा में जो दिखाया है कि दिल्ली ने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है, इसका क्या कारण है? मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली के बारे में इसको बताएं।

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, आपकी यह बात सही है कि दिल्ली के किसानों को इन योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिला है। उसकी वजह यही है कि दिल्ली की ओर से ये डेटा केंद्र सरकार के पास नहीं आए हैं। यहाँ एक-दो इश्यूज़ हैं, अभी दिल्ली के हमारे एक माननीय सांसद इस गृह में उपस्थित हैं, इनके जरिये मैं उनके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि जो भी डेटा अवेलेबल हैं, यदि वे केंद्र के पास भेज दिए जाएंगे, तो उन किसानों को लाभ मिल जाएगा, क्योंकि पैसे यहाँ पड़े हैं, सिर्फ राज्य सरकार इस डेटा की संस्तुति करके, approve करके यहाँ भेज दे। वहाँ पर एक इश्यू और भी है और वह यह है कि वहाँ पर किसी किसान का जो अधिकार था, उसको नाबूद करने का भी कोई निर्णय हुआ है। यदि उसकी समीक्षा करके - दिल्ली के पेरिफेरि वाले किसानों को भी यह लाभ मिले, इस प्रकार की कार्यवाही करने में राज्य का सहयोग मिले, इसके लिए माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से उस राज्य के प्रतिनिधियों से इसकी अपील करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर: माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक न होने के कारण उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों को अभी तक इसकी पहली किस्त भी नहीं मिली है। क्या माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से बात करके कोई समय सीमा निर्धारित की है कि वे तब तक रिकॉर्ड ठीक करके दे देंगे? मैं इसके साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय उपसभापति जी, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह कार्यक्रम पहली बार उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। तब जो एरर आया था, मिसमैच हुए थे - सर, इसमें ज्यादातर नाम सरकार की ओर से आए हुए नामों में और बैंकों की ओर से आए हुए नामों में थोड़ा डिफ़रेंस होने की वजह से भेजे गए थे, लेकिन उनमें से 23 हज़ार नाम करेक्ट होकर भी आ गए हैं और किसानों को इसका फायदा मिल जाए, इसके लिए हमने उसकी आगे संस्तुति भी कर दी है। हम उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं। हमने कृषि मंत्री के साथ रूबरू बैठकर इस विषय को बातचीत में लिया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि

इनका जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए राज्य सरकार भी बहुत aggressively काम कर रही है और हमारे केंद्र के अधिकारी भी इस कार्य में लगे हुए हैं।

श्रीमती कहकशां परवीन: उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि अब तक कितनी महिला किसानों और कितने पुरुष किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है?

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** آپ سبھاپتی مہودے، میں مانیئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب تک کتنی مہیلا کسانوں اور کتنے پروش کسانوں نے کسان سمان ندھی یوجنا کا لابھ لیا ہے؟

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, इस योजना में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, इसके चलते हम आपको यह फिगर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कितने किसानों को पहली किश्त और कितने किसानों को दूसरी किश्त मिल गई है, वह figure जवाब में बताई गई है।

श्रीमती कहकशां परवीन: महोदय, मेरा सवाल महिला किसानों के बारे में है।

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** مہودے، میرا سوال مہیلا کسانوں کے بارے میں ہے۔

श्री उपसभापति: कहकशां जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अलग से वह फिगर उपलब्ध नहीं है।

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूँगा कि अगर महिला किसान के नाम पर जमीन होगी, तो इसमें उन सभी किसानों को इसका लाभ मिलने का प्रावधान है।

Organic farming in Rajasthan

*294. SHRI NARAYAN LAL PANCHARIYA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has formulated any policy for promotion of organic farming;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether any areas have been earmarked or any target has been set for organic farming in Rajasthan; and

(d) if so, the details thereof?

†Transliteration in Urdu Script.